भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2073

सोमवार, 09 दिसंबर, 2024 / 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

आईटी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना

2073. प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के मौजूदा श्रम कानूनों का पालन किए बिना विभिन्न आईटी कंपनियां बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नोटिस दे रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के मौजूदा श्रम कानूनों में आईटी कंपनियों को कोई छूट दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अलग से कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948, तथा संबंधित राज्य सरकारों की दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम जैसे प्रमुख विधान कार्य दशाएं, रोजगार की शर्तों, तथा सेवाओं की समाप्ति आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का समाधान करते हैं। मौजूदा श्रम कानूनों के अंतर्गत आईटी कंपनियों के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया गया है। आईटी कंपनियों सहित अधिकांश निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिससे वे इन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए समुचित प्राधिकारी बन जाते हैं।

*****